क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जे-1, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़

पत्रांक 2692/HB-27/BMW/24 दिनांक 01.03.24

सेवा में,

डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

विषय– डिप्टी रजिस्ट्रार, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिन्सिपल बेंच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23.02.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक डिप्टी रजिस्ट्रार, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिन्सिपल बेंच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23.02.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि डिप्टी रजिस्ट्रार, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिन्सिपल बेंच, नई दिल्ली के द्वारा निम्नलिखित आदेश दिनांक 23.02.2024 पारित किया गया है–

"Take notice that OA No. 189/2024 (Copy enclosed) Titled "खुले में पड़ा चिकित्सा कचरा, मरीजों की सेहत पर खतरा" will be listed before the Hon'ble Tribunal at Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001 on 04th March, 2024 through Physical Hearing (With Hybrid Option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed, with your report.

Take further notice that in default of your appearance on the date above mentioned, the said Application will be heard and determined in your absence."

उक्त आदेश के अनुपालन में शिकायती स्थल बागला संयुक्त जिला चिकित्सालय, हाथरस के परिसर में एकत्रित जैव चिकित्सा अपशिष्ट की संयुक्त जांच किये जाने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, हाथरस के पत्र संख्या–2648/बी.एम.डब्ल्यू–1/2024 दिनांक 27.02.2024 **(छायाप्रति संलग्न–1)** के द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों की टीम गठित की गयी है :–

1. उपजिलाधिकारी, सदर, जनपद–हाथरस।
2. मुख्य चिकित्साधिकारी, हाथरस।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।

गठित समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण दिनांक 28.02.2024 को किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या पत्र के साथ मूलरूप में संलग्न है। संयुक्त निरीक्षण आख्या मा0 एन0जी0टी0 की ई–मेल आई0डी0: judicial-ngt@gov.in के माध्यम से अपलोड की गयी है। आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक : संयुक्त निरीक्षण आख्या।

भवदीय

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को संयुक्त निरीक्षण आख्या की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, हाथरस।
2. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. श्री प्रदीप मिश्रा, बोर्ड अधिवक्ता, बी–235, सेक्टर–19, नोएडा।
5. उपजिलाधिकारी, सदर, हाथरस।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

संलग्नक

कार्यालय जिलाधिकारी, हाथरस

पत्रांक : 2648/डी.एम. स्टेनो/2024 दिनांक : 27/02/2024

कार्यालय आदेश

डिप्टी रजिस्ट्रार, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिन्सीपल बेंच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23.02.2024 निम्नवत् है–

" Take notice that OA No. 189/2024 (Copy enclosed) Titled **"खुले में पड़ा चिकित्सा कचरा, मरीजों की सेहत पर खतरा"**. will be listed before the Hon'ble Tribunal at Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001 on 04th March, 2024 through Physical Hearing (With Hybrid Option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed, with your report.

Take further notice that in default of your appearance on the date above mentioned, the said Application will be heard and determined in your absence."

अतः उक्त आदेश के अनुपालन में शिकायती स्थल जिला संयुक्त अस्पताल, हाथरस के परिसर में एकत्रित जैव चिकित्सा अपशिष्ट की संयुक्त जांच हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की समिति गठित की जाती है:–

1. उपजिलाधिकारी, सदर, जनपद–हाथरस।
2. मुख्य चिकित्साधिकारी, हाथरस।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।

उक्त समिति आपस में समन्वय स्थापित करते हुए शिकायती स्थल की जांच कर आख्या दिनांक 02.03.2024 से पूर्व मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली एवं अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अर्चना वर्मा)
जिलाधिकारी, हाथरस।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित अधिकारियों को अनुपालनार्थ प्रेषित:–

1. उपजिलाधिकारी, सदर, जनपद–हाथरस।
2. मुख्य चिकित्साधिकारी, हाथरस।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।

जिलाधिकारी, हाथरस।

डिप्टी रजिस्ट्रार, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिन्सिपल बेंच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23.02.2024 के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण आख्याः–

डिप्टी रजिस्ट्रार, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिन्सिपल बेंच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23.02.2024 निम्नवत् है–

"Take notice that OA No. 189/2024 (Copy enclosed) Titled **"खुले में पड़ा चिकित्सा कचरा, मरीजों की सेहत पर खतरा"** will be listed before the Hon'ble Tribunal at Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001 on 04th March, 2024 through Physical Hearing (With Hybrid Option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed, with your report.

Take further notice that in default of your appearance on the date above mentioned, the said Application will be heard and determined in your absence."

उक्त आदेश के अनुपालन में शिकायती स्थल बागला संयुक्त जिला चिकित्सालय, हाथरस के परिसर में एकत्रित जैव चिकित्सा अपशिष्ट की संयुक्त जांच किये जाने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, हाथरस के पत्र संख्या–2648/बी.एम. डब्ल्यू–1/2024 दिनांक 27.02.2024 **(छायाप्रति संलग्न–1)** के द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों की टीम गठित की गयीः–

1. उपजिलाधिकारी, सदर, जनपद–हाथरस।
2. मुख्य चिकित्साधिकारी, हाथरस।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।

डिप्टी रजिस्ट्रार, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिन्सिपल बेंच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23.02.2024 के अनुपालन में उक्त समिति के द्वारा निम्नलिखित स्वास्थ्य केन्द्रों की संयुक्त निरीक्षण दिनांक 28.02.2024 को किया गया–

(क). मै0 बागला संयुक्त जिला पुरूष चिकित्सालय, हाथरस

(ख). मै0 जिला महिला चिकित्सालय, हाथरस।

उक्त दोनों स्वास्थ्य केन्द्रों की संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत् हैः–

(क). मै0 बागला संयुक्त जिला पुरूष चिकित्सालय, हाथरस :–

समिति द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक 28.02.2024 के समय मै0 बागला संयुक्त जिला पुरूष चिकित्सालय, हाथरस के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ0 सूर्य प्रकाश उपस्थित थे। संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत् हैः–

1. निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में निम्नलिखित चिकित्सा सम्बन्धित सुविधाऐं संचालित हैः–
   - i. एक्स–रे
   - ii. सीटी स्कैन
   - iii. ब्लड बैंक
   - iv. ओटी
   - v. इमरजेन्सी
   - vi. सर्जरी
   - vii. ओ.पी.डी.
   - viii. पैथोलॉजी
   - ix. मैडीसन आदि
2. निरीक्षण के समय स्वास्थ्य केन्द्र में कुल 70 बेड स्थापित पाये गये।
3. स्वास्थ्य केन्द्र से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट के संग्रहण हेतु कलर कोडेड बिन्स स्थापित पाये गये हैं।
4. निरीक्षण के समय अवगत कराया गया कि स्वास्थ्य केन्द्र से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट के शुद्धीकरण एवं निपटान हेतु संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान व्यवस्था मै0 जे0आर0आर0 वेस्ट मैनेजमेंट प्रा0लि0, ब्लाक नं0– एस–21, शाप नं0–4, संजय प्लेस, आगरा कराया जाता है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 20.12.2024 तक है **(छायाप्रति संलग्नक–2)।**

1/4

5. स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के अस्थायी भण्डारण हेतु सुविधा स्थापित की गयी है।
6. स्वास्थ्य केन्द्र में ओ.टी., फ्लोर वाशिंग एवं घरेलू प्रयोजनार्थ से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र/सीवेज शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना नही पायी गयी। ओ.टी., फ्लोर वाशिंग एवं घरेलू प्रयोजनार्थ से जनित उत्प्रवाह को बिना किसी शुद्धिकरण के नगर पालिका परिषद, हाथरस की ड्रेन में निस्तारित किया जाता है।
7. निरीक्षण के समय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निपटान हेतु बनायी गयी लॉग बुक चाही गयी, परन्तु लॉगबुक प्रस्तुत नही की गयी।
8. निरीक्षण के समय खीचे गये फोटोग्राफ निम्नलिखित है:–

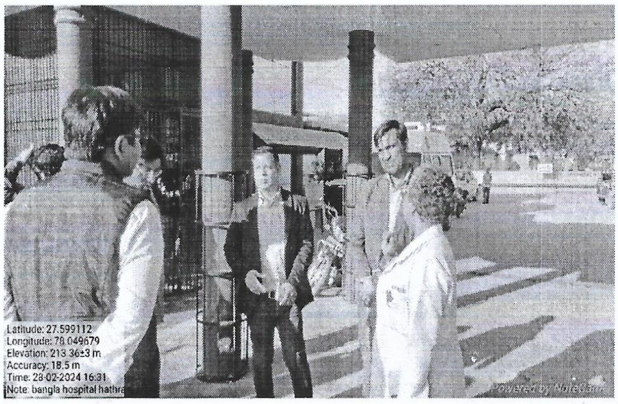

9. उक्त स्वास्थ्य केन्द्र को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के पत्र संख्या–2100/बी.एम.डब्ल्यू–1/19 दिनांक 18.01.2019 **(छायाप्रति संलग्नक–3)** के माध्यम से जैव चिकित्सा अपशिष्ट के उचित निस्तारण हेतु दिनांक 31.12.2019 तक सशर्त प्राधिकार जारी किया गया है। वर्तमान में उक्त स्वास्थ्य केन्द्र को राज्य बोर्ड से प्राधिकार एवं सहमति सहमति (जल/वायु) प्राप्त नही है तथा प्राधिकार एवं सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन नही किया गया है।
10. मै0 बागला संयुक्त जिला पुरूष चिकित्सालय, हाथरस के विरूद्ध उक्त वर्णित कमियों को दृष्टिगत रखते हुए उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के पत्र संख्या–2676/एच.बी.–27/बी.एम.डब्ल्यू/2024 दिनांक 29.02.2024 के द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को रू 997200/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1986 की धारा–5 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है, जिसकी **छायाप्रति संलग्नक–4** पर उपलब्ध हैं।

<u>(ख) जिला महिला चिकित्सालय, हाथरस :–</u>

समिति द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक 28.02.2024 के समय जिला महिला चिकित्सालय, हाथरस के मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका डॉ0 शैली सिंह उपस्थित थे। संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

1. निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में निम्नलिखित चिकित्सा सम्बन्धित सुविधाऐं संचालित है:–
   - i. गाइनकलॉजिक्ल
   - ii. चाइल्ड केयर
   - iii. ओ.टी.
2. निरीक्षण के समय स्वास्थ्य केन्द्र में कुल 30 बेड स्थापित पाये गये।
3. स्वास्थ्य केन्द्र से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट के संग्रहण हेतु कलर कोडेड बिन्स स्थापित पाये गये हैं।
4. निरीक्षण के समय अवगत कराया गया कि स्वास्थ्य केन्द्र से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट के शुद्धीकरण एवं निपटान हेतु संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान व्यवस्था मै0 जे0आर0आर0 वेस्ट मैनेजमेंट प्रा0लि0, ब्लाक नं0– एस–21, शाप नं0–4, संजय प्लेस, आगरा कराया जाता है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 20.12.2024 तक है **(छायाप्रति संलग्न–5)**।

2/4

5. स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के अस्थायी भण्डारण हेतु सुविधा स्थापित की गयी है।
6. स्वास्थ्य केन्द्र में ओ.टी., फ्लोर वाशिंग एवं घरेलू प्रयोजनार्थ से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र/सीवेज शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना नही पायी गयी। ओ.टी., फ्लोर वाशिंग एवं घरेलू प्रयोजनार्थ से जनित उत्प्रवाह को बिना किसी शुद्धिकरण के नगर पालिका परिषद की ड्रेन में निस्तारित किया जाता है।
7. निरीक्षण के समय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निपटान हेतु बनायी गयी लॉग बुक चाही गयी, परन्तु लॉगबुक प्रस्तुत नही की गयी।
8. उक्त स्वास्थ्य केन्द्र को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के पत्र संख्या–3795/बी.एम.डब्ल्यू–2/18 दिनांक 21.03.2018 **(छायाप्रति संलग्नक–6)** के माध्यम से जैव चिकित्सा अपशिष्ट के उचित निस्तारण हेतु दिनांक 20.03.2021 तक सशर्त प्राधिकार जारी किया गया है। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के पत्र संख्या–2859 दिनांक 31.03.2021 के द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के उचित निस्तारण हेतु प्राधिकार आवेदन एवं सहमति (जल/वायु) आवेदन किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया है। वर्तमान में उक्त स्वास्थ्य केन्द्र को राज्य बोर्ड से प्राधिकार एवं सहमति सहमति (जल/वायु) प्राप्त नही है तथा प्राधिकार एवं सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन नही किया गया है।
9. निरीक्षण के समय जिला महिला चिकित्सालय के पीछे, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय के दायीं तरफ क्षतिग्रस्त भवन में लगभग–100 कि0ग्रा0 तथा राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के बायीं तरफ लगभग–10 कि0ग्रा0 जैव चिकित्सा अपशिष्ट काफी दिनों से फेला हुआ पाया गया, जोकि जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 में वर्णित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।
10. निरीक्षण के समय खीचे गये फोटोग्राफ संलग्न है–

11.

12.

3/4 8

11. जिला महिला चिकित्सालय, हाथरस के विरूद्ध उक्त वर्णित कमियों को दृष्टिगत रखते हुए उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या–2677/एच.जे.–14/बी.एम.डब्ल्यू/2024 दिनांक 29.02.2024 के द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को रू 1291200/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1986 की धारा–5 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति संस्तुति की गयी है, जिसकी **छायाप्रति संलग्नक–7** पर उपलब्ध हैं।

उपरोक्त संयुक्त निरीक्षण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(जितेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रयोगशाला सहायक
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
अलीगढ़

(जितेन्द्र कुमार)
अनुश्रवण सहायक
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
अलीगढ़

(अजय कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
अलीगढ़

(डॉ मनजीत सिंह)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हाथरस

(लवगीत कौर)
उपजिलाधिकारी, सदर
जनपद–हाथरस

4/8

संलग्नक-2

Environment & Health Care Division

JRR WASTE MANAGEMENT PVT. LTD.

........Managing Bio Medical Waste

(CBWTF Authorised by State Pollution Control Board)

Block No. S-21, Shop No. 4, Sanjay Place, Agra-282002

Mob.: 9997981999, 9897030999 E-mail : jrrwmpl@gmail.com

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

It is certified that our Common Biomedical Waste Treatment Facility has obtained the Authorization from State Pollution Control Board under Rule 8(4) of the Biomedical Waste Management Rules, 2016 for Collection, Transportation, Storage, Treatment & disposal of Biomedical Wastes.

It is hereby certified that the below unit is attached with our facility for getting their generated biomedical wastes disposed off in accordance with Bio-medical Waste Management Rules, 2016.

Name of the Unit	*District Male Hospital*
Type of Unit	Nursing Home / Hospital
Declared Bed Strength (if any)	70
Customer ID No.	JRR/5722/202324/GOVT/002115
Address	, , Aligarh Road, Hathras, Uttar Pradesh
Validity	12/20/2024

It is hereby declared that the received waste is collected, transported, stored, treated & disposed off as per the Rules.

It is further certified that the unit's complete medic & para-medic staff has been trained & educated on the above subject for the necessary compliance, at their end.

Date of Issue: 29.02.2024

JRR Waste Management P. Ltd. * AGRA *

Authorized Signatory

संलग्नक-3

दूरभाष एवं फैक्स 0571–2743521

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जे–1, ज्ञान सरोवर कालोनी, रामघाट रोड़,
अलीगढ़–202001

पत्रांक 2100/BMW-1/19 दिनांक 10-1-19

FORM-III
(See Rule 10)
AUTHORIZATION

(Authorization for operating a facility for generation, collection, reception, treatment, storage, transport and disposal of biomedical wastes)

1- File number of authorization and date of issue 420 10-1-19

2- **M/s Bangla Joint District Male Hospital** occupier of the Hospital located at **Agra Road, Hathras (U.P.)** is hereby granted an authorization for:-

Activity	Please Tick
Generation, segregation	√
Collection,	√
Storage	√
Packaging	√
Reception	
Transportation…	
Treatment or processing or conversion…	
Recycling…	
Disposal or destruction…	
Use…	
Offering for sale, Transfer…	
Any other form of handling…	

3- **M/s Bangla Joint District Male Hospital, Agra Road, Hathras (U.P.)** is hereby authorized for handling of biomedical waste as per the capacity given below:

(i) Number of Beds of HCF :- 70

Healthcare facility is covered by CBMWTF- **M/S Bio-Medical Waste Disposal Agency, Neem Gaon Road, Vill-Pandwa, Tehsil-Mantt, Mathura** Quantity of Biomedical waste handled, treated or disposal-

Type of Waste Category	**Quantity permitted for Handling**
Yellow Red White (Translucent) Blue	Approx- **10.0 Kg/Day**

4- This authorization shall be in force for a period upto **31.12.2019.**

5- This authorization is subject to the conditions stated below and to such other conditions as may be specified in the rules for the time being in force under the Environment (Protection) Act, 1986

TERM AND CONDITION

1- . The Authorization shall comply with provisions of the Environment (Protection) Act 1986 and the rules m there under.
2- The Authorization or its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer, Authorized by Board.
3- The Authorized person shall not rent, lend, transfer or otherwise transport the bio-medical waste without obtaining prior permission of the prescribed authority.
4- It is duty of the Authorized person to take prior permission of the Board to close down the facility and such other terms and conditions may be stipulated by the prescribed authority.
5- Any unauthorized change in personnel, equipment or working condition as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
6- Bio Medical Waste shall not be mixed with other waste.
7- Needle cutter /shredders should be installed, maintained & operated to stop it's reuse.
8- Segregated Bio-Medical Waste in defined colour coded bags shall be handed over to valid agency as engaged for disposal
9- You shall also ensure that untreated Bio-Medical Waste shall be transported on regular basis by engaged agency only in such vehicle as may be authorized for the purpose by the Board
10- Bio-Medical Waste shall be segregated into containers/bags at the point of generation in accordance with schedule I. prior to its storage, transportation, treatment and disposal. The container shall be labeled as per provision. Record of Bio-Medical Waste for Incineration and other waste must be maintained in the Hospital.
11- It shall be your sole responsibility to engage a valid authorized agency engage for C.B.T.F. (By U.P. Pollution Control Board) for the disposal of Bio-Medical Waste.
12- No untreated biomedical waste shall be kept stored beyond a period of 48 hours in compliance of Rule 8 of Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules-2016.
13- You shall submit an annual report to the U.P.Pollution Control Board in form IV by 30th June every year for a period from January to December. And include information about the categories and quantities of Bio-Medical Waste during the preceding year.
14- You shall maintain records related to the generation, collection, reception, storage, transportation, treatment and disposal and/or any form of handling of Bio-Medical Waste in accordance with rules and guidelines. All records shall be subject to inspection and verification by the board at any time.
15- It is within the power and functions of U.P.Pollution Control Board to modify/revoke the terms and conditions of the Authorization issued under the Rule 10 of the Bio-Medical Waste Management Rules-2016.
16- You are hereby directed to comply the stipulated above, mentioned conditions and submit the compliance report and steps taken in this regard within a month so that capacity of the facility may be verified failing which the authorization may be revoked and necessary legal proceeding shall be initiated.
17- The Bio-Medical Waste shall not be disposed in open place in the premises.
18- Strict Compliance of Rule 18 and all other provisions of BMW Rule 2016 must be ensured.
19- The mercury contaminated Bio Medical Waste shall be properly segregated in the healthcare facility & the same shall be treated and disposed by CBMWTF in compliance of the said rule and Hazardous Waste (Management Handling & Trans Boundary Movement) Rules, 2008 and thereof.
20- Necessary Consent under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act 1974 and under section 21 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act 1981 shall be obtained within 06 months.
21- This authorization shall be valid subject to the validity of agreement with the M/S Common Bio Medical Waste Treatment facility. Renewed agreement should be submitted before the expiry of exisiting agreement.
22- The Registration Certificate issued by Chief Medical Officer shall be submitted within one-month time.
23- Remaining Authorization fees shall be submitted within fifteen days .

You are directed to focus your attention on above mentioned conditions and submit compliance report in due time to this office, otherwise your authorization may be revoked.

Yours faithfully,

(Ram Gopal)
Regional Officer

संलग्नक-4

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जे-1, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़

पत्रांक 2676/HB-27/BMW/24 दिनांक 29.02.24

सेवा में, पंजीकृत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय मै0 बागला संयुक्त जिला पुरूष चिकित्सालय, हाथरस के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। स्वास्थ्य केन्द्र मै0 बागला संयुक्त जिला पुरूष चिकित्सालय, हाथरस का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 28.02.2024 को किया गया। स्वास्थ्य केन्द्र मै0 बागला संयुक्त जिला पुरूष चिकित्सालय, हाथरस के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलन दिनांक 20.11.2021 से दिनांक 28.02.2024 तक कुल 831 दिन को डिफाल्टर मानते हुए स्वास्थ्य केन्द्र के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार रू0 1200/दिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 1200x831= Rs. 997200/- अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1986 की धारा–5 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

AEE LETTER 2024

बागला संयुक्त जिला पुरूष चिकित्सालय, हाथरस की निरीक्षण आख्या :–

उक्त स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 28.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ0 सूर्य प्रकाश उपस्थित थे। निरीक्षण आख्या निम्नवत् हैः–

1. निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में निम्नलिखित चिकित्सा सम्बन्धित सुविधाऐं संचालित हैः–
    - i. एक्स–रे
    - ii. सीटी स्कैन
    - iii. ब्लड बैंक
    - iv. ओटी
    - v. इमरजेन्सी
    - vi. सर्जरी
    - vii. ओ.पी.डी.
    - viii. पैथोलॉजी
    - ix. मैडीसन आदि
2. निरीक्षण के समय स्वास्थ्य केन्द्र में कुल 70 बेड स्थापित पाये गये।
3. स्वास्थ्य केन्द्र से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट के संग्रहण हेतु कलर कोडेड बिन्स स्थापित पाये गये हैं।
4. निरीक्षण के समय अवगत कराया गया कि स्वास्थ्य केन्द्र से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट के शुद्धीकरण एवं निपटान हेतु संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान व्यवस्था मै0 जे0आर0आर0 वेस्ट मैनेजमेंट प्रा0लि0, ब्लाक नं0– एस–21, शाप नं0–4, संजय प्लेस, आगरा कराया जाता है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 20.12.2024 तक है।
5. स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के अस्थायी भण्डारण हेतु सुविधा स्थापित की गयी है।
6. स्वास्थ्य केन्द्र में ओ.टी., फ्लोर वाशिंग एवं घरेलू प्रयोजनार्थ से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र/सीवेज शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना नही पायी गयी। ओ.टी., फ्लोर वाशिंग एवं घरेलू प्रयोजनार्थ से जनित उत्प्रवाह को बिना किसी शुद्धिकरण के नगर पालिका परिषद, हाथरस की ड्रेन में निस्तारित किया जाता है।
7. निरीक्षण के समय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निपटान हेतु बनायी गयी लॉग बुक चाही गयी, परन्तु लॉगबुक प्रस्तुत नही की गयी।
8. निरीक्षण के समय खीचे गये फोटोग्राफ निम्नवत् हैः–

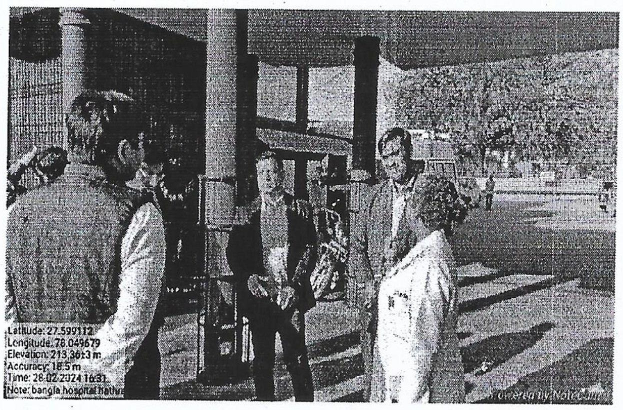

9. उक्त स्वास्थ्य केन्द्र को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के पत्र संख्या–2100/बी.एम.डब्ल्यू–1/19 दिनांक 18.01.2019 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से जैव चिकित्सा अपशिष्ट के उचित निस्तारण हेतु दिनांक 31.12.2019 तक सशर्त प्राधिकार जारी किया गया है। स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा दिनांक 22.10.2021 को प्राधिकार प्राप्त हेतु निवेश मित्र व्यवस्था के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन किया गया था। उक्त आवेदन के सम्बन्ध में दिनांक 23.10.2021 को क्लेरीफिकेशन लगाया गया था, परन्तु निर्धारित समयावधि में वाछित सूचना प्राप्त न होने की दशा में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के पत्र संख्या–12653896 दिनांक 20.11.2021 के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया गया। वर्तमान में उक्त स्वास्थ्य केन्द्र को राज्य बोर्ड से प्राधिकार एवं सहमति सहमति (जल/वायु) प्राप्त नही है तथा प्राधिकार एवं सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन नही किया गया है।

1/2

अतः स्वास्थ्य केन्द्र मै0 बागला संयुक्त जिला पुरूष चिकित्सालय, हाथरस के विरूद्ध उक्त वर्णित कमियों को दृ… रखते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलन दिनांक 20.11.2021 से दिनांक 28.02.2024 तक कुल 831 दिन को डिफाल्टर मा… हुए स्वास्थ्य केन्द्र के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसा… रू0 1200/दिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 1200x831= Rs. 997200/- अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1986 की धारा–5 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(जितेन्द्र कुमार शर्मा)	(जितेन्द्र कुमार)	(अजय कुमार)	(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
प्रयोगशाला सहायक	अनुश्रवण सहायक	सहा0 पर्या0 अभि0	क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

RO

<u>मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4)</u>

2/2

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
Telephone: +91-522-2720831, 2720681(Fax):+91-522-2720764

1.Ref No :12653896/UPPCB/UPHOC4(EIA)/BMW/HATHRAS/2021
Dated: 20/11/2021

To,
M/S M/s BANGLA JOINT DISTRICT MALE HOSPITAL
ALIGARH ROAD, HATHRAS
District: Hathras

Sub : Authorization under the provisions of Bio-Medical Wastes Management Rules, 2016 as amended

Reference of application(Number and Date) : 12653896, 20/11/2021

Sir,
with reference to your application as mentioned above of M/s M/s BANGLA JOINT DISTRICT MALE HOSPITAL is hereby refused Authorization based on the following grounds:

Reasons:-

1. The H.C.F is not complying the provisions of Bio-Medical Wastes Management Rules,2016
2. The H.C.F has not submitted the details of segregation of Bio-Medical Waste
3. The H.C.F has not submitted log book of Bio-Medical Waste whom send to C.B.W.T for treating & disposal
4. The H.C.F has not submitted the membership from any C.B.W.T.F for treating & disposal of Bio-Medical Waste
5. The H.C.F is not proper complying of previous authorization conditions.
6. Your BMW application submitted on dt. 23.10.2021 & on dt. 23.10.2021 raised query on your application as below. Hospital applied for 70 Bed. Hospital not uploaded the STP/ETP design details, hospital not handling the BMW Rules & hospital not uploaded the compliance of previous authorization. Hospital not uploaded or received it information in office till date. Hence your BMW application refused.

ANIL KUMAR CHAUDHARY
Digitally signed by ANIL KUMAR CHAUDHARY
Date: 2021.11.20 08:14:17 -08'00'

(Authorized Signatory)

संलग्नक-5

Environment & Health Care Division

JRR WASTE MANAGEMENT PVT. LTD.

........Managing Bio Medical Waste

(CBWTF Authorised by State Pollution Control Board)

Block No. S-21, Shop No. 4, Sanjay Place, Agra-282002

Mob.: 9997981999, 9897030999 E-mail : jrrwmpl@gmail.com

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

It is certified that our Common Biomedical Waste Treatment Facility has obtained the Authorization from State Pollution Control Board under Rule 8(4) of the Biomedical Waste Management Rules, 2016 for Collection, Transportation, Storage, Treatment & disposal of Biomedical Wastes.

It is hereby certified that the below unit is attached with our facility for getting their generated biomedical wastes disposed off in accordance with Bio-medical Waste Management Rules, 2016.

Name of the Unit	*District Female Hospital*
Type of Unit	Nursing Home / Hospital
Declared Bed Strength (if any)	30
Customer ID No.	JRR/5722/202324/GOVT/002116
Address	., Aligarh Road, Hathras, Uttar Pradesh
Validity	12/20/2024

It is hereby declared that the received waste is collected, transported, stored, treated & disposed off as per the Rules.

It is further certified that the unit's complete medic & para-medic staff has been trained & educated on the above subject for the necessary compliance, at their end.

Date of Issue: 29.02.2024

JRR Waste Management P. Ltd. * AGRA *

Authorized Signatory

संलग्नक-6

दूरभाष एवं फैक्स 0571–2743521

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जे–1, ज्ञान सरोवर कालोनी, रामघाट रोड़,
अलीगढ़–202001

पत्रांक 3795/BMW-2/18 दिनांक 21-3-18

FORM-III
(See Rule 10)
AUTHORIZATION

(Authorization for operating a facility for generation, collection, reception, treatment, storage, transport and disposal of biomedical wastes)

1- File number of authorization and date of issue 951, 21-3-18.

2- **M/S District Female Hospital,** occupier of the Hospital located at **Hathras** is hereby granted an authorization for:-

Activity	Please Tick
Generation, segregation --	√
Collection, --	√
Storage--	√
Packaging--	√
Reception--	
Transportation…--	
Treatment or processing or conversion…--	
Recycling…--	
Disposal or destruction…--	
Use…--	
Offering for sale, Transfer…--	
Any other form of handling…--	

3- **M/S District Female Hospital, Hathras** is hereby authorized for handling of biomedical waste as per the capacity given below:

(i) Number of Beds of HCF 30

Healthcare facility is covered by **CBMWTF-M/S Bio Medical Waste Disposal Agency, Mathura** Quantity of Biomedical waste handled, treated or disposal-

Type of Waste Category	**Quantity permitted for Handling**
Yellow Red White (Translucent) Blue	Approx- **5.0** Kg/Day

4- This authorization shall be in force for a period of **Three Years** from the date of issue.

5- This authorization is subject to the conditions stated below and to such other conditions as may be specified in the rules for the time being in force under the Environment (Protection) Act, 1986

TERM AND CONDITION

1- The Authorization shall comply with provisions of the Environment (Protection) Act 1986 and the rules made there under.
2- The Authorization or its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer, Authorized by Board.
3- The Authorized person shall not rent, lend, transfer or otherwise transport the bio-medical waste without obtaining prior permission of the prescribed authority.
4- It is duty of the Authorized person to take prior permission of the Board to close down the facility and such other terms and conditions may be stipulated by the prescribed authority.
5- Any unauthorized change in personnel, equipment or working condition as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
6- Bio Medical Waste shall not be mixed with other waste.
7- Needle cutter /shredders should be installed, maintained & operated to stop it's reuse.
8- Segregated Bio-Medical Waste in defined colour coded bags shall be handed over to valid agency as engaged for disposal
9- You shall also ensure that untreated Bio-Medical Waste shall be transported on regular basis by engaged agency only in such vehicle as may be authorized for the purpose by the Board
10- Bio-Medical Waste shall be segregated into containers/bags at the point of generation in accordance with schedule I. prior to its storage, transportation, treatment and disposal. The container shall be labeled as per provision. Record of Bio-Medical Waste for incineration and other waste must be maintained in the Hospital.
11- It shall be your sole responsibility to engage a valid authorized agency engage for C.B.T.F. (By U.P. Pollution Control Board) for the disposal of Bio-Medical Waste.
12- No untreated biomedical waste shall be kept stored beyond a period of 48 hours in compliance of Rule 8 of Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules-2016.
13- You shall submit an annual report to the U.P.Pollution Control Board in form IV by 30th June every year for a period from January to December. And include information about the categories and quantities of Bio-Medical Waste during the preceding year.
14- You shall maintain records related to the generation, collection, reception, storage, transportation, treatment and disposal and/or any form of handling of Bio-Medical Waste in accordance with rules and guidelines. All records shall be subject to inspection and verification by the board at any time.
15- It is within the power and functions of U.P.Pollution Control Board to modify/revoke the terms and conditions of the Authorization issued under the Rule 10 of the Bio-Medical Waste Management Rules-2016.
16- You are hereby directed to comply the stipulated above, mentioned conditions and submit the compliance report and steps taken in this regard within a month so that capacity of the facility may be verified failing which the authorization may be revoked and necessary legal proceeding shall be initiated.
17- The Bio-Medical Waste shall not be disposed in open place in the premises.
18- Strict Compliance of Rule 18 and all other provisions of BMW Rule 2016 must be ensured.
19- The mercury contaminated Bio Medical Waste shall be properly segregated in the healthcare facility & the same shall be treated and disposed by CBMWTF in compliance of the said rule and Hazardous Waste (Management Handling & Trans Boundary Movement) Rules, 2008 and thereof.
20- Necessary Consent under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act 1974 and under section 21 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act 1981 shall be obtained within 06 months.
21- <u>This authorization shall be valid subject to the validity of agreement with the M/S Common Bio Medical Waste Treatment facility. Renewed agreement should be submitted before the expiry of exisiting agreement.</u>
22- The Registration Certificate issued by Chief Medical Officer shall be submitted within one-month time.
23- Remaining Authorization fees shall be submitted within fifteen days .

You are directed to focus your attention on above mentioned conditions and submit compliance report in due time to this office, otherwise your authorization may be revoked.

Yours faithfully,

(Ram Gopal)
Regional Officer

19

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जे-1, ज्ञान सरोवर कॉलौनी, रामघाट रोड, अलीगढ़

संलग्नक -7

पत्रांक 2677/HJ-14/BMW/24 दिनांक 29.02.24

पंजीकृत

सेवा में,
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय मै0 जिला महिला चिकित्सालय, हाथरस के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। स्वास्थ्य केन्द्र मै0 जिला महिला चिकित्सालय, हाथरस का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 28.02.2024 को किया गया। स्वास्थ्य केन्द्र मै0 जिला महिला चिकित्सालय, हाथरस के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलन दिनांक 20.03.2021 से दिनांक 28.02.2024 तक कुल 1076 दिन को डिफाल्टर मानते हुए स्वास्थ्य केन्द्र के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार रू0 1200/दिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 1200x1076= Rs. 1291200/- अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1986 की धारा–5 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

म0 जिला महिला चिकित्सालय, हाथरस की निरीक्षण आख्या:–

उक्त स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 28.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ0 शैली सिंह उपस्थित थे। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

1. निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में निम्नलिखित चिकित्सा सम्बन्धित सुविधाऐं संचालित है:–
   - i. गाइनकलॉजिक्ल
   - ii. चाइल्ड केयर
   - iii. ओ.टी.
2. निरीक्षण के समय स्वास्थ्य केन्द्र में कुल 30 बेड स्थापित पाये गये।
3. स्वास्थ्य केन्द्र से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट के संग्रहण हेतु कलर कोडेड बिन्स स्थापित पाये गये हैं।
4. निरीक्षण के समय अवगत कराया गया कि स्वास्थ्य केन्द्र से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट के शुद्धीकरण एवं निपटान हेतु संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान व्यवस्था मै0 जे0आर0आर0 वेस्ट मैनेजमेंट प्रा0लि0, ब्लाक नं0– एस–21, शाप नं0–4, संजय प्लेस, आगरा कराया जाता है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 20.12.2024 तक है।
5. स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के अस्थायी भण्डारण हेतु सुविधा स्थापित की गयी है।
6. स्वास्थ्य केन्द्र में ओ.टी., फ्लोर वाशिंग एवं घरेलू प्रयोज़नार्थ से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र/सीवेज शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना नही पायी गयी। ओ.टी., फ्लोर वाशिंग एवं घरेलू प्रयोजनार्थ से जनित उत्प्रवाह को बिना किसी शुद्धिकरण के नगर पालिका परिषद, हाथरस की ड्रेन में निस्तारित किया जाता है।
7. निरीक्षण के समय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निपटान हेतु बनायी गयी लॉग बुक चाही गयी, परन्तु लॉगबुक प्रस्तुत नही की गयी।
8. उक्त स्वास्थ्य केन्द्र को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के पत्र संख्या–3795/बी.एम.डब्ल्यू–2/18 दिनांक 21.03.2018 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से जैव चिकित्सा अपशिष्ट के उचित निस्तारण हेतु दिनांक 20.03.2021 तक सशर्त प्राधिकार जारी किया गया है। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के पत्र संख्या–2859 दिनांक 31.03.2021 के द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के उचित निस्तारण हेतु प्राधिकार आवेदन एवं सहमति (जल/वायु) आवेदन किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया है। वर्तमान में उक्त स्वास्थ्य केन्द्र को राज्य बोर्ड से प्राधिकार एवं सहमति सहमति (जल/वायु) प्राप्त नही है तथा प्राधिकार एवं सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन नही किया गया है।
9. निरीक्षण के समय जिला महिला चिकित्सालय के पीछे, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय के दायीं तरफ क्षतिग्रस्त भवन में लगभग–100 कि0ग्रा0 तथा राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के बायीं तरफ लगभग–10 कि0ग्रा0 जैव चिकित्सा अपशिष्ट काफी दिनों से फेला हुआ पाया गया, जोकि जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्ध नियम, 2016 में वर्णित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।
10. निरीक्षण के समय खीचे गये फोटोग्राफ संलग्न है–

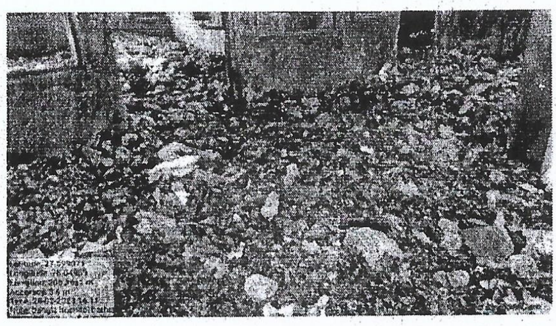

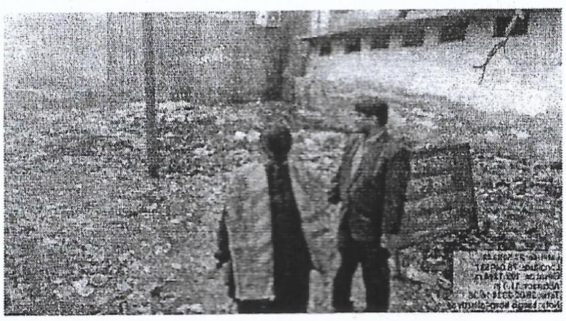

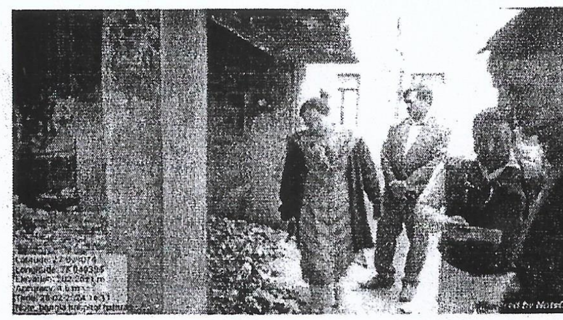

अतः स्वास्थ्य केन्द्र मै0 जिला महिला चिकित्सालय, हाथरस के विरूद्ध उक्त वर्णित कमियों को दृष्टिगत रखते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलन दिनांक 20.03.2021 से दिनांक 28.02.2024 तक कुल 1076 दिन को डिफाल्टर मानते हुए स्वास्थ्य केन्द्र के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार रू0 1200/दिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 **1200x1076= Rs. 1291200/-** अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1986 की धारा–5 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(जितेन्द्र कुमार शर्मा) प्रयोगशाला सहायक	(जितेन्द्र कुमार) अनुश्रवण सहायक	(अजय कुमार) सहा0 पर्या0 अभि0	(डॉ0 जे0पी0 सिंह) क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

<u>मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4)</u>

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांकः—2059/2/BMW/2021 दिनांकः—31/03/2021

पंजीकृत

सेवा में,
मै0 जिला महिला अस्पताल,
जनपद—हाथरस।

विषयः— जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 एवं प्राधिकार प्राप्त करने हेतु बायो मेडीकल वेस्ट रूल्स 2016 के प्राविधानों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अधिनियमों के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बायो मेडीकल वेस्ट रूल्स 2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रत्येक अस्पताल, क्लीनिक, नर्सिंग होम, पैथोलैब आदि का बायो मेडीकल वेस्ट डिस्पोजल हेतु कॉमन बायो मेडीकल वेस्ट फेसिलिटी से सम्बद्ध होकर बोर्ड से प्राधिकार एवं जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के प्राविधानों के अन्तर्गत जल/वायु सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है। अवगत हों कि तत्क्रम में जनहित रिट याचिका संख्या—62812/2011 मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तथा समय—समय पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा भी उक्त सम्बन्ध में आदेश पारित किये गये हैं। वर्तमान में आपके संस्थान को बायो मेडीकल वेस्ट रूल्स 2016 के प्राविधानों के अनुपालन में बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त नही है। वर्तमान में संस्थान का संचालन बोर्ड से बिना प्राधिकार एवं सहमति जल/वायु प्राप्त किये किया जा रहा है, जिससे स्पष्ट है आप द्वारा जानबूझ कर उक्त अधिनियमों के प्राविधानों का उल्लघन किया जा रहा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त के अनुपालन में अविलम्ब कॉमन बायो मेडीकल वेस्ट फेसिलिटी से सम्बद्ध होकर समस्त प्रपत्रों सहित www.niveshmitra.up.nic.in पर प्राधिकार एवं सहमति जल/वायु आनलाइन आवेदन कर प्राप्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा उक्त का अनुपालन न किये जाने की दशा में बोर्ड द्वारा कृत कार्यवाही हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

भवदीय

(राम गोपाल)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी

प्रतिलिपि :—

1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हाथरस को इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी उपरोक्त के अनुपालन हेतु सम्बन्धित को आदेशित करने का कष्ट करें।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त—4), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

कार्यालय पता : जे—1, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड,अलीगढ़—202001
Office Address : J-1, Gyan Sarover Colony, Ramghat Road, Aligarh -202001
Phone & Fax : 0571 2743521
E-mail : roaligarh@uppcb.com